मुख्यमंत्री निवास घेराव की तैयारी में किसान पदयात्रा दूसरे दिन भोपाल पहुंची

सरकार से वार्ता के बाद भी संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन जारी रखने का किया एलान

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से निकाली जा रही किसान पदयात्रा मंगलवार को दूसरे दिन भोपाल पहुंची। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से चर्चा का प्रस्ताव रखा गया, जिसके तहत कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना, कृषि सचिव तथा मुख्यमंत्री के विशेष कार्याधिकारी के साथ संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल की बैठक हुई।

बैठक में किसानों की विभिन्न मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसमें विशेष रूप से मूंग की फसल की शत-प्रतिशत खरीदी तथा खाद की ई-टोकन व्यवस्था में सुधार जैसे प्रमुख विषय शामिल रहे। सरकार की ओर से प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया गया कि किसानों की सभी मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा तथा शीघ्र ही इस संबंध में जवाब दिया जाएगा। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार के इस जवाब पर असंतोष जताते हुए आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया है।

इस बीच पुलिस प्रशासन ने किसान पदयात्रा को बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, होशंगाबाद रोड स्थित परिसर में रोक दिया। इसके बावजूद किसान मुख्यमंत्री निवास के घेराव की तैयारी में जुटे हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर बुधवार को प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से अधिक संख्या में किसानों के भोपाल पहुंचने की संभावना है। मोर्चा ने मुख्यमंत्री निवास के महा घेराव की घोषणा करते हुए कहा है कि जब तक किसानों की मांगों पर सरकार की ओर से आदेश जारी नहीं किए जाते, तब तक आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रदेशभर के किसानों से बड़ी संख्या में भोपाल पहुंचकर आंदोलन को सफल बनाने की अपील की है। मोर्चा की प्रमुख मांगों में प्रदेश के किसानों की मूंग की उपज की शत-प्रतिशत खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सुनिश्चित करना, ई-टोकन व्यवस्था में सुधार, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आवश्यक बदलाव, कृषि कार्य के लिए प्रतिदिन दस घंटे नियमित विद्युत आपूर्ति, अघोषित बिजली कटौती पर रोक, खेत सड़क योजना लागू करना, अनुदान योजना के तहत किसानों को विद्युत ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराना, भारत-अमेरिका व्यापार समझौता समाप्त करना तथा प्रत्येक फसल की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सुनिश्चित करने के लिए गारंटी कानून बनाना और डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा के अनुसार सी-2 प्लस 50 प्रतिशत सूत्र लागू करना शामिल हैं।

मूंग खरीदी लक्ष्य बढ़ाने केंद्र से कृषि मंत्री का आग्रह

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंसाना ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर प्रदेश के ग्रीष्मकालीन मूंग उपार्जन का लक्ष्य बढ़ाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में केंद्र द्वारा प्रदेश को 4.54 लाख मीट्रिक टन मूंग खरीदी का लक्ष्य दिया गया है, जबकि राज्य सरकार ने 8.06 लाख मीट्रिक टन का प्रस्ताव भेजा था। पत्र में बताया गया है कि इस वर्ष प्रदेश में लगभग 14.30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती हुई है तथा कुल उत्पादन लगभग 20.16 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है। पिछले वर्ष 7.72 लाख मीट्रिक टन मूंग का उपार्जन किया गया था, जबकि इस वर्ष अब तक पंजीकृत 3.47 लाख किसानों में से केवल 82 हजार किसानों से ही खरीदी हो सकी है। कृषि मंत्री ने केंद्र से अनुरोध किया है कि अन्य राज्यों के अप्रयुक्त लक्ष्य का लाभ मध्यप्रदेश को देते हुए मूंग खरीदी का लक्ष्य बढ़ाकर 8.06 लाख मीट्रिक टन किया जाए, ताकि अधिक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिल सके और दलहन उत्पादन को प्रोत्साहन मिले।

पुलिस और हजारों किसान आमने-सामने

होशंगाबाद रोड, एम्स, कटारा हिल्स सहित शहर में कई जगह जाम

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः भोपाल में हजारों किसानों और पुलिस के बीच तनाव का माहौल बन गया। विभिन्न मांगों को लेकर ष्टरू हाउस का घेराव करने पहुंचे किसानों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की, जिसके बाद दोनों आमने-सामने आ गए।

किसानों ने ऐलान किया कि जब तक मांगें पूरी नहीं होतीं तब तक वे सीएम हाउस के पास ही डेरा डालेंगे। आंदोलन के चलते राजधानी के होशंगाबाद रोड, एम्स, कटारा हिल्स समेत कई प्रमुख मार्गों पर घंटों जाम लगा रहा।

किसान संगठनों के बैनर तले आए किसान सुबह से ही ष्टरूहाउस की ओर कूच कर रहे थे। उनका कहना था कि फसल बीमा, कर्ज माफी और बिजली बिल में राहत को लेकर सरकार से कई बार बात हो चुकी है लेकिन कोई हल नहीं निकला।

पुलिस ने बैरिकेड लगाकर किसानों को आगे बढ़ने से रोका। इस दौरान कुछ देर तक तीखी नोकझोंक भी हुई। किसानों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि 'अब यहीं डालेंगे डेरा, मांग पूरी करके ही जाएंगे'।

आंदोलन के कारण राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई। होशंगाबाद रोड, एम्स चौराहा, कटारा हिल्स, अरेरा हिल्स और 10 नंबर जैसे व्यस्त इलाकों में वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।

नर्मदापुरम मार्ग प्रभावित, पुलिस ने जारी किया डायवर्जन प्लान

किसानों के धरना-प्रदर्शन के चलते मंगलवार शाम छह बजे से आरआरएल तिराहा ब्रिज के उतार स्थित नर्मदापुरम मार्ग पर यातायात प्रभावित रहा। इसके चलते पुलिस ने वैकल्पिक मार्गों से आवागमन करने की सलाह दी है। नर्मदापुरम रोड से आने वाले वाहन 11 मील बाईपास, खजूरी कला और पिपलानी मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। मिसरोद और भोपाल विश्वविद्यालय के बीच की कॉलोनियों के निवासी बावड़ियांकला ब्रिज होकर कोलार और 10 नंबर क्षेत्र पहुंच सकते हैं। वहीं एमपी नगर से नर्मदापुरम जाने वाले वाहन गोविंदपुरा, पिपलानी, पटेल नगर और खजूरी कला मार्ग का उपयोग करें।

ऑफिस और स्कूल जाने वाले लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस ने वैकल्पिक रास्तों से ट्रैफिक डायवर्ट किया।

प्रशासन से बातचीत जारी

स्थिति को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रशासन ने किसानों से बातचीत कर उन्हें ज्ञापन लेने और आश्वासन देने की कोशिश की। लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे।

अधिकारियों ने कहा कि किसानों की मांगों को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। वहीं किसान नेताओं ने कहा कि जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलता वे आंदोलन जारी रखेंगे।

सतना ने प्रदूषण पर पाया नियंत्रण, पीथमपुर की हवा अब भी सबसे अधिक चिंताजनक

तीन वर्षों के आंकड़ों में सतना गंभीर श्रेणी से बाहर, भोपाल में सुधार के बावजूद चुनौती बरकरार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्यप्रदेश के शहरों की वायु गुणवत्ता में पिछले तीन वर्षों के दौरान उल्लेखनीय बदलाव दर्ज किया गया है। संसद में वर्ष 2023 से 2025 तक के वायु गुणवत्ता सूचकांक संबंधी प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, सतना ने गंभीर प्रदूषण वाले दिनों की संख्या 30 से घटाकर शून्य कर दी है। वहीं औद्योगिक नगर पीथमपुर में वर्ष 2025 के दौरान 33 दिन वायु गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई, जिससे लगभग प्रत्येक 11वें दिन लोगों को अत्यधिक प्रदूषित वातावरण का सामना करना पड़ा।

राजधानी भोपाल में भी स्थिति में सुधार दर्ज किया गया है। वर्ष 2023 में यहां 36 और वर्ष 2024 में 40 दिन गंभीर प्रदूषण की श्रेणी में रहे थे, जबकि वर्ष 2025 में यह संख्या घटकर आठ रह गई। हालांकि राजधानी अभी भी गंभीर प्रदूषण से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकी है।

आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023 में सतना में 30 दिन गंभीर प्रदूषण दर्ज किया गया था, जबकि वर्ष 2024 और 2025 में एक भी दिन गंभीर श्रेणी का प्रदूषण नहीं रहा। उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर इसे प्रदेश में सबसे बड़ा सुधार माना गया है।

दूसरी ओर, पीथमपुर में वर्ष 2023 में 19, वर्ष 2024 में 31 और वर्ष 2025 में 33 दिन गंभीर प्रदूषण दर्ज किया गया। इससे स्पष्ट है कि औद्योगिक क्षेत्रों में वायु प्रदूषण अब भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। लोकसभा में वायु प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत 24 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 130 गैर-अनुपालक शहरों के लिए 16,423.56 करोड़ रुपये की प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन राशि जारी की गई है। इसके परिणामस्वरूप 108 शहरों में वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2025-26 के दौरान पीएम-10 की सांद्रता में कमी दर्ज की गई है। इनमें 72 शहरों में 20 प्रतिशत से अधिक तथा 26 शहरों में 40 प्रतिशत से अधिक कमी आई है, जबकि वर्ष 2025-26 में 14 शहर राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों तक पहुंच चुके हैं।

मानक क्लब द्वारा तकनीकी प्रश्न मंच का आयोजन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, में भारतीय मानक ब्यूरो के मानक क्लब द्वारा विज्ञान संकाय की छात्राओं के लिए तकनीकी प्रश्न मंच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि प्राचार्य डॉ. सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी रहे। प्रतियोगिता में डॉ. शालिनी प्रधान, डॉ. प्रतिमा खरे, डॉ. श्वेता कटियार, डॉ. ममता सक्सेना तथा डॉ. दीपक चौरसिया उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में विज्ञान संकाय की छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्राचार्य डॉ. गोस्वामी ने छात्राओं को संबोधित करते हुए मानकीकरण की उपयोगिता तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। प्रतियोगिता के समापन पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। प्रथम पुरस्कार सना खान को प्रदान किया गया। द्वितीय पुरस्कार मुस्कान जोगचंद एवं संजना लहरी, तृतीय पुरस्कार नाजिया एवं शीतल वर्मा तथा चतुर्थ पुरस्कार न्यासा परिहार एवं सीता बिल्लोरे को प्रदान किया गया। अंत में सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए भविष्य में भी ऐसे शैक्षणिक आयोजनों में सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया गया।

सड़क हादसे में मृत तीन कारोबारियों के परिजनों को मिलेंगे 3.05 करोड़

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने बीमा कंपनी को दिए निर्देश

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी स्थित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने भीषण सड़क हादसे में जान गंवाने वाले तीन कारोबारियों के आश्रितों तथा गंभीर रूप से घायल उनके एक साथी के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कुल 3 करोड़ 5 लाख 50 हजार रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश जयंत शर्मा की अदालत ने यह राशि संबंधित ट्रक की बीमा कंपनी से अदा करने के निर्देश दिए हैं।

मृतकों के परिजनों और घायल संस्कार अंदानी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर.के. हिंगोरानी तथा अधिवक्ता सनी हिंगोरानी ने मुआवजे का दावा प्रस्तुत किया था। सुनवाई के बाद अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर फैसला सुनाया। प्रकरण के अनुसार 13 फरवरी 2025 की रात होशंगाबाद (नर्मदापुरम) निवासी कारोबारी संदीप मूलचंदानी, सूरज आहूजा, सागर नवलानी और उनके साथी संस्कार अंदानी कार से इटारसी से होशंगाबाद लौट रहे थे। पवारखेड़ा थाना क्षेत्र में नवोदय विद्यालय के सामने बिना संकेत अचानक ब्रेक लगाने से कार ट्रक से टकराकर पलट गई।

हादसे में संदीप मूलचंदानी, सूरज आहूजा और सागर नवलानी की मृत्यु हो गई, जबकि संस्कार अंदानी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने ट्रक चालक संजू जोहर और ट्रक मालिक मोहम्मद अनवर के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया। अदालत ने ट्रक चालक की लापरवाही को दुर्घटना का कारण मानते हुए मृतकों के आश्रितों और घायल को कुल 3 करोड़ 5 लाख 50 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश पारित किया।

गांदरबल बस दुर्घटना पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने व्यक्त की संवेदना

नप्र, भोपाल: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक हेमंत खंडेलवाल ने जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले में अमरनाथ यात्रा से लौट रही मंदसौर की बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से कई श्रद्धालुओं के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है।

आंगनबाड़ी सेवाओं में सुधार के लिए जमीनी सुझावों पर बनेगी नई कार्ययोजना

नप्र, भोपाल: महिला एवं बाल विकास विभाग ने आंगनवाड़ी केंद्रों को अधिक प्रभावी और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को राज्य स्तरीय विचार-मंथन कार्यशाला आयोजित की।

विभागीय संचालनालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न संभागों से चयनित नवाचारी और सक्रिय आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यशाला के दौरान विभाग की आयुक्त सुश्री निधि निवेदिता ने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद कर उनके अनुभव, सुझाव और मैदानी स्तर की चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की। कार्यशाला में पोषण पुनर्वास, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, डिजिटल तकनीक के उपयोग, कुपोषण उन्मूलन, बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने तथा समुदाय की भागीदारी से जुड़े कई सफल नवाचार साझा किए गए। विभिन्न जिलों की कार्यकर्ताओं ने स्थानीय स्तर पर किए गए प्रयोगों और उनके सकारात्मक परिणामों की जानकारी भी दी।

आयुक्त ने कहा कि प्रदेश में विकसित उत्कृष्ट कार्यप्रणालियों का संकलन कर उन्हें अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा।

वेटलैंड में मड रैली पर शिकंजा स्टंट करने वालों पर प्रकरण दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी के कलियासोत डैम के वेटलैंड क्षेत्र में आयोजित अवैध मड रैली और खतरनाक वाहन स्टंट के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 वाहनों को जब्त कर लिया है। मामले में स्टंट करने वालों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है तथा वाहन नंबरों के आधार पर मालिकों की पहचान की जा रही है।

रातीबड़ थाना पुलिस ने कार्रवाई के दौरान स्टंट में प्रयुक्त जिप्सी और थार सहित अन्य वाहनों को जब्त किया। आरोपितों के विरुद्ध खतरनाक व लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने, मानव जीवन को संकट में डालने, प्राकृतिक जलाशयों को प्रदूषित करने तथा संक्रमण फैलाने से संबंधित भारतीय न्याय संहिता और मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। यह मड रैली रविवार को आयोजित की गई थी। पर्यावरणविदों ने इसे वेटलैंड और जलीय जीव-जंतुओं के लिए गंभीर खतरा बताते हुए आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इस मामले को राष्ट्रीय हरित अधिकरण में भी ले जाने की तैयारी की जा रही है। पर्यावरणविद राशिद नूर ने बताया कि वर्ष 2019 में इसी प्रकार की गतिविधियों के विरुद्ध याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद जनवरी 2020 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने देशभर के वेटलैंड क्षेत्रों में मड रैली जैसे आयोजनों पर रोक लगा दी थी। इसके बाद तत्कालीन जिला प्रशासन ने भी ऐसे आयोजनों की अनुमति निरस्त कर दी थी। विशेषज्ञों के अनुसार कलियासोत और आसपास के क्षेत्रों में मगरमच्छ, घड़ियाल सहित अनेक जलीय जीव तथा वन्यजीवों की मौजूदगी है। भारी वाहनों की आवाजाही, तेज शोर और भीड़भाड़ से जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण प्रेमियों ने वेटलैंड क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश पर सख्ती, नियमित गश्त और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है।

कार्यालय नगर परिषद औबेदुल्लागंज जिला-रायसेन (म.प्र.)

Email-cmoobaidullaganj@mpurban.gov.in

ULB Code-802328

क्रमांक 728/स्व.भा.मि./ 2026/ **दिनांक-24/07/2026**

!! सार्वजनिक सूचना !!

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत सरकार द्वारा सिविल अपील संख्या 6174/2023 के प्रकरण में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 को दिनांक 27 जनवरी 2026 को अधिसूचित किया गया है, तथा यह नियम दिनांक 01 अप्रैल 2026 से संपूर्ण देश में प्रभावी हो गये है। नवीन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के अंतर्गत भारत राजपत्र पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय विभाग का राजपत्र क्र. 360 का.आ. 388 (अ) नई दिल्ली, दिनांक 27 जनवरी 2026 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन हेतु भारत राजपत्र के अध्याय-2 के नियम (5) व (7) प्रकाशित किया गया है। उक्त नियमों के क्रियान्वयन बाडी नगरीय सीमा क्षेत्र में किया जाना है। जो कि निम्नानुसार है :-

1. घर, प्रतिष्ठान, संस्थान, औद्योगिक यूनिट, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा इत्यादि स्थानों से उत्पन्न अपशिष्ट को 04 पृथक-पृथक शाखाओं जैसे-गीला कचरा. सूखा कचरा, घरेलू एवं हानिकारक कचरा एवं सेनेटरी कचरा को पृथक-पृथक करके ही कचरा संग्रहण वाहनों में डालना।
2. सेनेटरी कचरा जैसे-डायपर, स्वास्थ्यकर पैड़ आदि को पॉलीथीन में या अन्य उपयुक्त सामग्री में सुरक्षित रूप से लपेटने के पश्चात ही कचरा संग्रहण वाहनों में डालेंगे।
3. निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट को जब भी उत्पन्न हो अपने परिसर में पृथक रूप से भंडारित करेंगे, तथा निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट नियम 2016 के अनुसार उसका निस्तारण करेंगे।
4. पृथक किया गया अपशिष्ट गीला कचरा, सूखा कचरा, घरेलू एवं हानिकारक कचरा एवं सेनेटरी कचरा को प्राधिकृत अपशिष्ट संग्रहणकर्ताओं या निकाय द्वारा अधिसूचित अपशिष्ट संग्रहण वाहन (कचरा वाहन) मे डालना अनिवार्य है।
5. अपने परिसर या भूमि से उत्पन्न कृषि अपशिष्ट या उद्यान अपशिष्ट को अपने परिसर में पृथक रूप से भंडारित करेंगे, और समय-समय पर स्थानीय निकाय प्राधिकारियों के निर्देशों के अनुसार उसका निस्तारण करेंगे।
6. सार्वजनिक स्थानों पर कचरे को फेंकना, कचरे को जलाना, नाली में फेंकना, जलाशयों में फेंकना पूर्णतः प्रतिबंधित है।
7. समस्त प्रकार के विक्रेता को अपने प्रतिष्ठान में उत्सर्जित हो रहे अपशिष्ट जैसे-गीला कचरा एवं सूखा कचरा के संग्रहण हेतु उपयुक्त डस्टबिन रखना अनिवार्य है।
8. अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता ऐसी उपयोगिता फीस का भुगतान करेंगे, जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये स्थानीय निकायों की उपविधियों में विनिर्दिष्ट किया जायें।
9. कोई व्यक्ति अग्रिम रूप से कम से कम 03 कार्य दिवस पूर्व स्थानीय निकाय को सूचित किये बिना किसी भी गैर अनुज्ञप्ति वाले स्थान पर 100 व्यक्तियों से अधिक का कोई आयोजन या समारोह आयोजित नही करेगा। आयोजनकर्ता को आयोजन स्थल पर कचरे के संग्रहण की संपूर्ण व्यवस्था करना एवं उपरोक्त कचरे को कचरा वाहन में देना अनिवार्य है।
10. सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित किये जा रहे आयोजन या समारोह में उत्सर्जित हो रहे अपशिष्ट को पृथक-पृथक जैसे-गीला एवं सूखा कचरा रखना अनिवार्य है, एवं उपरोक्त कचरे को अधिकृत अपशिष्ट संग्रहण या निकाय के कचरा वाहन में ही प्रदान करेंगे।
11. जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अधीन आने वाले जैव चिकित्सा अपशिष्ट के साथ मिश्रित नही करेंगे।
12. रहवासी संघ, प्रतिष्ठान, संस्थान, औद्योगिक यूनिट, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा इत्यादि स्थानों से यदि 100 कि.ग्रा. अपशिष्ट प्रतिदिन उत्सर्जित हो रहा है, तो उपरोक्त स्थानों पर गीले कचरे का प्रबंधन स्वयं को किया जाना अनिवार्य है।
13. 5000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले सभी होटल, रेस्टोरेंट, रहवासी संघ, बाजार संघ और गेट लगे समुदाय तथा संस्थान स्थानीय निकाय के साथ भागीदारी में इन नियमों के अनुसार स्त्रोत पर कचरे का पृथक्कीकरण एवं गीले कचरे का प्रबंधन करेंगे।
14. समस्त ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण प्लांट के संचालक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के केंद्रीयकृत पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीयन करेंगे व प्लांट के संचालन के लिये आवश्यक सभी अनुमतियां राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त करेंगे।

(किरण राहगडाले) मुख्य नगर पालिका अधिकारी

नगर परिषद औबेदुल्लागंज

लापरवाही *दुष्कर्म मामलों में धाराएं लगाने में पुलिस से चूक*

पुलिस मुख्यालय की समीक्षा में सामने आईं गंभीर खामियां

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः प्रदेश में दुष्कर्म और पॉक्सो मामलों में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराएं लगाने में पुलिस की लापरवाही सामने आई है। पुलिस मुख्यालय की समीक्षा में पाया गया है कि कई मामलों में आवश्यक धाराएं नहीं लगाई जा रही हैं, जबकि कुछ प्रकरणों में गैरजरूरी धाराएं जोड़ दी गई हैं। इससे अदालत में अभियोजन पक्ष कमजोर पड़ने की आशंका बनी रहती है।

हाल ही में भोपाल के एक थाने में दर्ज दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने दुष्कर्म की धारा तो लगा दी, लेकिन पीड़िता की शिकायत के बावजूद मारपीट की धारा शामिल नहीं की। इसी तरह पॉक्सो के कई मामलों में पीड़िता की उम्र के अनुसार लागू होने वाली

बीएनएस की धाराओं का सही तरीके से उपयोग नहीं किया गया।

रोज हो रही मामलों की समीक्षाः पुलिस मुख्यालय ने एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में तीन सदस्यीय समीक्षा टीम गठित की है, जो प्रतिदिन दर्ज होने वाले मामलों में लगाई गई धाराओं की जांच कर रही है। प्रदेश में प्रतिदिन औसतन 15 से 20 दुष्कर्म और संबंधित मामले दर्ज होते हैं। समीक्षा के दौरान सामने आई कमियों को विवेचना के स्तर पर सुधारा जा रहा है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (महिला सुरक्षा) अनिल कुमार ने बताया कि जांच के दौरान ही त्रुटियों को ठीक कराया जा रहा है, ताकि न्यायालय में अभियोजन पक्ष कमजोर न पड़े। साथ ही पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सही धाराएं लगाने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय समय-समय पर इंदौर और भोपाल के पुलिस आयुक्तों तथा सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को इन कमियों के संबंध में पत्र भेज रहा है। 15 जुलाई को भी इस संबंध में निर्देश जारी किए गए थे। उल्लेखनीय है कि जिन त्रुटियों को अब पुलिस मुख्यालय चिन्हित कर रहा है, वे पहले जिला स्तर पर अधिकारियों की समीक्षा में सामने नहीं आई थीं। समीक्षा में सामने आई प्रमुख कमियां,पॉक्सो मामलों में 16 वर्ष से कम आयु की पीड़िता पर बीएनएस की धारा 65(1) तथा 12 वर्ष से कम आयु होने पर 65(2) लगाने का प्रावधान है, लेकिन इसका सही पालन नहीं हो रहा। शादी का झांसा या झूठा वादा कर बनाए गए शारीरिक संबंध के मामलों में बीएनएस की धारा 69 लागू होती है, लेकिन कई मामलों में इसके साथ अनावश्यक रूप से दुष्कर्म की धारा 64 भी जोड़ दी जा रही है। मानसिक रूप से विक्षिप्त पीड़िता के मामलों में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 92(घ) का समावेश कई बार नहीं किया जा रहा। नाबालिग पीड़िता के गर्भवती होने की स्थिति में पॉक्सो एक्ट की धारा 5(जे-आईआई) लगाने में भी लापरवाही सामने आई है। पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि इन त्रुटियों को दूर करने के लिए लगातार निगरानी और प्रशिक्षण की प्रक्रिया जारी रहेगी, ताकि संवेदनशील मामलों में कानूनी कार्रवाई प्रभावी और मजबूत बनी रहे।